132

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1335—तीन/2009 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 26—06—2009 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 393/अपील/1997—98.

.....

1—अवधलाल 2 रामविहारी
3—कोशल पुत्रगण प्रहलाद दास यादव
निवासीगण ग्राम दामोदरगढ़ तहसील
हनुमना जिला रीवा म0 प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1—रामछवीले 2—रामकुमार
3—महेन्द्र कुमार पुत्रगण प्रहलाद दास यादव.
निवासीगण ग्राम दामोदरगढ़ तहसील
हनुमना जिला रीवा म0 प्र0

——— अनावेदकगण

.....

श्री आई0 पी0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित —एकपक्षीय

.....

आदेश
(आज दिनांक 20/07/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 26—6—2009 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2—प्रकरण का सारांश यह है कि उीाय पक्ष की भूमि सर्वे कमांक 193, 194, 404, 419 के नक्शा तरमीम हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर तहसीलदार हनुमना जिला रीवा ने प्रकरण कमांक

94/अ–74/1993–94 पंजीबद्व किया तथा जांच एवं सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 26–6–1996 पारित करके नक्शा तरमीम करना स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी हनुमना के समक्ष आवेदकगण ने अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी हनुमना ने प्रकरण कमांक 307/अं–74/1995–96 अपील में पारित आदेश दिनांक 22.4.98 से अपील आंशिकरूप से स्वीकार कर तहसीलदार हनुमना को निर्देश दिया कि भूमि सर्वे नंबर 541 का स्वयं स्थल निरीक्षण करके एवं स्थानीय पूछताछ के वाद बटवारे को आधार मानकर पुनः तरमीम किया जावे। अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने प्रकरण कमांक 393/1997–98/अपील में पारित आदेश दिनांक 26.6.09 से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करते हुये तहसीलदार हनुमना के आदेश दिनांक 26.6.96 को स्थिर रखा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदकगण के अधिवक्ता का तर्क है कि अपर आयुक्त रीवा द्वारा विधि विधान आदेश नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। तहसील न्यायालय में अनावेदकगण द्वारा जो आवेदन प्रस्तुत किया था उसमें वर्णित सर्वे नम्वरानों का अनावेदकगण भूमिस्वामी ही नहीं थे उक्त आवेदन प्रचलन योग्य नहीं था उस पर से की गई संपूर्ण कार्यवाही जिसके आधार पर पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार के समक्ष यह तथ्य सामने आने पर कि राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके की स्थिति के अनुसार तरमीम का प्रतिवेदन सही नहीं है उस पर से तहसीलदार द्वारा मौके की स्थिति के मुताविक नक्शा तरमीम का प्रतिवेदन मंगाने का आदेश दिया राजस्व निरीक्षक द्वारा यह निवेदन कि तहसीलदार स्वयं मौके की स्थिति का निरीक्षण करें, तहसीलदार द्वारा मौके की स्थिति के अनुसार नजरी नक्शा बनाया ,स्थल निरीक्षण किया, लेकिन पूर्व राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्ताव के आधार पर आदेश पारित किया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि तहसीलदार न्यायालय द्वारा सर्वे कमांक 541/1, 541/2 के भूमिस्वामी के संबंध में विचार किये बिना बटांकन किये नक्शे में 541/1 का व 541/1 (ख) कायम किया इस प्रकार कार्यवाही की याचना भी अनावेदकगण

द्वारा अपने आवेदन में नहीं की थी, अनावेदकगण को अनुचित लाभ पहुंचाने की दृष्टि से ऐसी कार्यवाही की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में गुण दोषों पर कोई आदेश पारित नहीं किया, उन्होंने सर्वे कमांक 541 के संबंध में तरमीम स्थल के विपरीत अनुमानित मानकर प्रकरण रिमाण्ड किया जिसे योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरीक्षण कर वैधानिक भूल की है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण को प्रत्यावर्तित किया है, उन आधारों पर विचार किये बिना अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी हनुमना द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.4.98 यथावत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4–आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। अनावेदक पूर्व से एक पक्षीय है। प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि भूमि खसरा नम्बर 541 रकवा 10.66 एकड़ का क्षेत्रफल है यह नम्बर पूर्व नायब तहसीलदार के बंटनवारा प्रकरण द्वारा आवेदक को 5.33 एकड़ तथा अनावेदक को 5.33 एकड़ का हिस्सा बटंनवारा में दिनांक 25.5.93 को दिया गया था। आवेदक व अनावेदक अपने–अपने भाग पर काबिज हैं, उक्त बंटनवारा की कोई अपील निगरानी किसी प्रकार दायर नहीं की गई। म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 में बने नियम 4 के मुताविक आदेश अंतिम था उसी के अनुसार तहसीलदार द्वारा मौके की स्थिति एवं कब्जे के विपरीत आदेश दिया गया है। तहसीलदार द्वारा सर्वे कमांक 541 का तरमीम किया है; अथवा नहीं उसमें असहमति शब्द का उल्लेख किया गया है। प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रत्यावर्तित किया गया है जिससे उभयपक्षों को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा, इस ओर अपर आयुक्त रीवा द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है, और उभयपक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर मिलने से वचिंत कर दिया गया। अतः उनका आदेश दिनांक 26.6.09 त्रुटिपूर्ण आदेश परिलक्षित होता है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी हनुमना द्वारा तहसीलदार हनुमना एवं राजस्व निरीक्षक मण्डल खटखरी को प्रकरण प्रत्यावर्तित कर सर्वे कमांक 541 का स्वयं स्थल निरीक्षकण कर स्थानीय व्यक्तियों से पूछताछ कर पंचो द्वारा किये गये बंटनवारा को आधार

मानकर तरमीम किये जाने का आदेश दिया गया है, जिससे उभयपक्षों को सुनवाई का एवं साक्ष्य का अवसर मिलेगा। अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 22.4.98 स्थिर रखे जाने योग्य है।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 393/अपील/1997–98 में पारित आदेश दिनांक 22.6.09 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा अनुविभागीय अधिकारी हनुमना द्वारा प्रकरण कमांक 307/अ–74/1995–96 में पारित आदेश दिनांक 22.4.98 विधि संबंत होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर